

प्रेषक,

शंभू शरण,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार !

पटना, दिनांक- 31/12/2024

विषय:- राजकोषीय माध्यम से NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission मद में 60:40 के अनुपात में केन्द्रांश मद की राशि रु० 2,09,28,00,000/- (रुपये दो अरब नौ करोड़ अठ्ठाईस लाख) मात्र सहायक अनुदान मद में एवं उक्त राशि के विरुद्ध राज्यांश मद की समानुपातिक कुल राशि रु० 1,39,52,00,000/- (रुपये एक अरब उनचाली करोड़ बावन लाख) मात्र अर्थात् कुल रु० 3,48,80,00,000/- (रुपये तीन अरब अड़तालीस करोड़ अस्सी लाख) मात्र सहायक अनुदान मद में वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट उपबंध एवं अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित्त स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्रांक-5103, दिनांक-24.12.2024 द्वारा उपलब्ध करायी गई मॉग के आलोक में NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission मद में केन्द्रांश मद की राशि रु० 2,09,28,00,000/- (रुपये दो अरब नौ करोड़ अठ्ठाईस लाख) मात्र सहायक अनुदान मद में एवं उक्त राशि के विरुद्ध राज्यांश मद की समानुपातिक कुल राशि रु० 1,39,52,00,000/- (रुपये एक अरब उनचालीस करोड़ बावन लाख) मात्र अर्थात् कुल रु० 3,48,80,00,000/- (रुपये तीन अरब अड़तालीस करोड़ अस्सी लाख) मात्र सहायक अनुदान मद में वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराया जाना है ।

2- उक्त प्रसंग में NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission मद में केन्द्रांश मद की राशि रु० 2,09,28,00,000/- (रुपये दो अरब नौ करोड़ अठ्ठाईस लाख) मात्र सहायक अनुदान मद में एवं उक्त राशि के विरुद्ध राज्यांश मद की समानुपातिक कुल राशि रु० 1,39,52,00,000/- (रुपये एक अरब उनचालीस करोड़ बावन लाख) मात्र अर्थात् कुल रु० 3,48,80,00,000/- (रुपये तीन अरब अड़तालीस करोड़ अस्सी लाख) मात्र सहायक अनुदान मद में वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट उपबंध एवं अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित्त स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

3- राज्य स्वास्थ्य समिति के उक्त पत्र के प्रसंग में भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से आवंटनादेश द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि की विवरणी निम्नवत् है :-

STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR					
Details of Fund received from Govt. of India (2024-25)					
SL. No.	Letter No.	Date	Amount (Central Shares-60%)	Amount State Shares-40%	Total
Implementation of Infrastructure Maintenance, a centrally sponsored Plan Scheme					
1	Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission				
2	G.27017/01/2024-25/NHM-Finance(E-8272587)	24 12 2024	2,09,28,00,000	1,39,52,00,000	3,48,80,00,000
	Total		2,09,28,00,000	1,39,52,00,000	3,48,80,00,000

4- केन्द्रांश मद की उक्त राशि की निकासी अधोलिखित उपशीर्षो अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा:-

- मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-110-अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष-0203-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, **विपत्र कोड-20-2210031100203**, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, **विषय शीर्ष-31 06**-सहायक अनुदान- गैर वेतन मद में उपबंधित राशि रु० 10,00,00,00,000 /-(रुपये दस अरब) में से रु० 27,05,00,000 /-(रुपये सताईस पाँच लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (PMSSN) के तहत केन्द्रांश मद में मांग की गई राशि मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-110-अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष-0203-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, **विपत्र कोड-20-2210031100203**, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, **विषय शीर्ष-31 06**-सहायक अनुदान- गैर वेतन मद में उपबंधित राशि रु० 10,00,00,00,000 /-(रुपये दस अरब) में से रु० 1,46.24,00,000 /-(रुपये एक अरब छियालीस करोड चौबीस लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0201-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, **विपत्र कोड-20-2210017890201**, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, **विषय शीर्ष-31 06**-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबंधित राशि रु० 3,78,00,00,000 /-(रुपये तीन अरब अठहत्तर करोड) में से रु० 33,30,00,000 /-(रुपये तैंतीस करोड तीस लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-796-अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0219-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन **विपत्र कोड-20-2210017960219**, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063 **विषय शीर्ष-31 06**- सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबंधित राशि कुल रु० 50,00,00,000 /-(रुपये पचास करोड) में से रु० 2,69,00,000 /-(रुपये दो करोड उनहत्तर लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।

h

5- राज्यांश मद की उक्त राशि की निकासी अधोलिखित उपशीर्षों अन्तर्गत उपबंधित राशि से घटकवार विकलनीय होगा:-

- (i) मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-110- अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष-0303-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, **विपत्र कोड-20-2210031100303**, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, **विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबंधित एवं आगणन से प्राप्त राशि कुल रु० 13,92,98,68,000/- (तेरह अरब बानबे करोड अन्तानबे लाख अडसठ हजार) मात्र मे से रु० 18,03,33,333/- (अठारह करोड तीन लाख तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस) मात्र की राशि विकलनीय होगी।**
- (ii) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (PMSSN) के तहत राज्यांश मद में मांग की गई राशि मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-110- अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष-0303-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, **विपत्र कोड-20-2210031100303**, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, **विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबंधित एवं आगणन से प्राप्त राशि कुल रु० 13,92,98,68,000/- (तेरह अरब बानबे करोड अन्तानबे लाख अडसठ हजार) मात्र में से रु० 97,49,33,333/- (रुपये संतानवे करोड उनचास लाख तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस) मात्र की राशि विकलनीय होगी।**
- (iii) मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-0301-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, **विपत्र कोड-20-2210017890301**, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, **विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद मे उपबंधित एव आगणन से प्राप्त राशि कुल रु० 2,04,40,58,000/- (रुपये दो अरब चार करोड चालीस लाख अठावन हजार) मात्र मे से रु० 22,20,00,000/- (रुपये बाईस करोड बीस लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।**
- (iv) मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- उप शीर्ष- 0302-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, **विपत्र कोड-20-2210037960302**, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, **विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबंधित एवं आगणन से प्राप्त राशि कुल रु० 24,48,15,000/- (रुपये चौबीस करोड अडतालीस लाख पन्द्रह हजार) मात्र में से रु० 1,79,33,334/- (रुपये एक करोड उनासी लाख तैंतीस हजार तीन सौ चौतीस) मात्र की राशि विकलनीय होगी।**

6- इस राशि की निकासी अवर राचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा और नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना होंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति वित्त विभाग के पत्र सं०-870 दिनांक-25.01.2024 के दिशा निर्देशों के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए राशि का व्यय करेंगे।

7- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस राशि की निकासी वित्त विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में करते हुए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के निम्नवत् SNA में राशि हस्तान्तरित कराना सुलभ करायेगें-

केन्द्र प्रायोजित स्कीम का नाम	खाता का नाम	खाता संख्या	आई०एफ०एस० कोड	बैंक का नाम
National Health Mission	State Health Society Bihar	625901143308	ICIC0006259	ICICI Bank, Exhibition Road Branch, Patna

- 8- राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय विधिवत् महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेंगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, भारत सरकार के कार्यालय को भी भेजेंगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-341 के अनुरूप अंकक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।
- 9- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-7/बजट-46-12/2021 के पृष्ठ-162-163/टि0 पर प्राप्त है।
- 10- प्रस्ताव एवं प्रारूप में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
- 11- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।
- 12- राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- 13- एतदसंबंधी आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(शंभू शरण) 31-12-24

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-7/बजट-46-12/2021- 325(7) /स्वा0. पटना, दिनांक- 31/12/2024

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अपर सचिव एवं मिशन निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन (एन०एच०एम०), निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अवर सचिव/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रूम नं०-331-सी., निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- उप निदेशक(ए०जे०एस०)/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय रूम नं०-523-सीविंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-7/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को अपलोड हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


31.12.24
सरकार के अपर सचिव।
Mukund